



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 1, सोमवार, शाके 1939— अक्टूबर 23, 2017
Kartika 1, Monday, Saka 1939—October 23, 2017

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जन अभियोग निराकरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 18, 2017

संख्या F13(3)प्र.सु./सम./गु-1/2011 :- राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं० प.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नालिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के कम संख्या 7 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान कम संख्या 48 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई कम संख्या 48ए, तथा 48बी एवं उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

48ए	सौर जनरेटर के लिये नियमन 32 के तहत	7 दिवस	विद्युत निरीक्षक	सहायक विद्युत निरीक्षक	वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक	वरिष्ठ शासन उप सचिव, उर्जा विभाग
48बी	ट्रांसफार्मर उर्जाकरण के लिये नियमन 43 के तहत	7 दिवस	विद्युत निरीक्षक	सहायक विद्युत निरीक्षक	वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक	वरिष्ठ शासन उप सचिव, उर्जा विभाग

(ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के कम संख्या 8 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान कम संख्या 49 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई कम संख्या 49ए एवं उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

49ए	विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत, विनिर्माता/व्यवहारी/मरम्मतकर्ता का अनुज्ञापत्र तथा पैकर पंजीयन	7 दिन	निरीक्षक/सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	संयुक्त नियंत्रक/अतिरिक्त नियंत्रक विधिक माप विज्ञान	नियंत्रक विधिक माप विज्ञान
-----	---	-------	---	-------------------------------	--	----------------------------

(iii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के कम संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान कम संख्या 76 एफ व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई कम संख्या 76 जी से 76 जे एवं उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

76 जी	भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में						
(1)	भवन मानचित्र अनुमोदन	तीस दिन	निदेशक आयोजना (विकास) प्राधिकरण	वरिष्ठ नगर नियोजक (विकास) प्राधिकरण	सचिव, (विकास) प्राधिकरण	आयुक्त, (विकास) प्राधिकरण	-
(2)	गूखण्डों का उप	सक्षम स्तर	वरिष्ठ	सहायक	नगर सुधार	चैयरमेन (नगर	

		विभाजन एवं पुर्नगठन	पर स्वीकृती के निर्णय के पश्चात् शुल्क जमा होने के 15 कार्य दिवस	अथवा नियोजक (नगर सुधार न्यास)	नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	न्यास	सुधार न्यास)	
		(3) भू-उपयोग परिवर्तन		सचिव, (विद्यारा प्राधिकरण नगर विकास न्यास)	उपायुक्त, (विकास प्राधिकरण) / उप सचिव (नगर सुधार न्यास)	अतिरिक्त मुख्य सचिव, (नगरीय विभाग)	मननीय मंत्री महोदय, (नगरीय विकास विभाग)	
	76 एच	राजस्व अधिनियम 1956 के धारा 90 ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण की कार्यवाही	60 दिवस	उपायुक्त (विकास प्राधिकरण) / उप सचिव (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	तहसीलदार (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	सचिव, (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	आयुक्त (विकास प्राधिकरण) / / चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)	
	76 आई	लीज डीड जारी करना	30 दिवस	उपायुक्त (विकास प्राधिकरण) / उप सचिव (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	तहसीलदार (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	सचिव, (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	आयुक्त (विकास प्राधिकरण) / / चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)	
	76 जे	ले-आउट प्लान अनुमोदन पश्चात् पट्टा जारी करना (कृषि भूमि से सम्बन्धित)	80 दिवस	उपायुक्त (विकास प्राधिकरण) / उप सचिव (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	तहसीलदार (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	सचिव, (विकास प्राधिकरण) / (नगर सुधार न्यास)	आयुक्त (विकास प्राधिकरण) / / चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)	

(iv) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान कम संख्यांक 20 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नये कम संख्यांक 21, 22 व 23 उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जावेगी, अर्थात्:-

21.	उद्योग विभाग	128	भागीदारी फर्म पंजीयन	7 कार्य दिवस	रजिस्ट्रार ऑफ फर्म	-	-	-	अपीलीय अधिकारी का प्रावधान नहीं
22.	श्रम विभाग	129	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान का अधिनियम, 1958 के तहत संस्थानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण	1	1	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	-	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त
		130	ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (ठेकेदार) के तहत लाईसेन्स	15	15	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	-	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त
		131	ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (प्रधान नियोजक) के	30	-	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	-	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त

		तहत पंजीयन							
	132	भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम, 1996 के तहत संस्थानों का पंजीयन	15	—	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	—	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	
	133	श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के तहत पंजीयन	15	—	संयुक्त श्रम आयुक्त	—	श्रम आयुक्त, राजस्थान	—	
	134	बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के तहत संस्थानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण	10	10	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	—	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	
	135	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 के तहत संस्थानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण	15	15	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	—	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	
	136	केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 (ठेकेदार) के तहत लाइसेन्स एवं नवीनीकरण	15	15	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	—	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	
	137	केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 (प्रधान नियोक्ता) के तहत पंजीयन	30	—	जिलास्तरीय श्रम अधिकारी	—	संयुक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	

23.	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग	138	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखाने के रूप में किसी भवन के निर्माण/विस्तार/अथवा उपयोग में लिये जाने हेतु स्वीकृति व नक्शे अनुमोदन	ऑनलाइन पूर्ण - आवेदन प्राप्त होने की तिथि से	मुख्य निरीक्षक / उप मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	149 श्रमिक तत्काल नियोजित करने वाले गैर जोखिमपूर्ण कारखानों के नक्शे स्वीकृति के लिये उप मुख्य निरीक्षक सहायक पदाभिहित अधिकारी व शेष कारखानों के लिये मुख्य निरीक्षक पदाभिहित अधिकारी है।
		(1)	धारा 2 एम (II) के तहत परिभाषित और नियम 2 (एम) के तहत परिभाषित गैर-खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	10 दिवस					
		(2)	अन्य कारखाने	30 दिवस					

		139	कारखाने का पंजियन-कारखाना अधिनियम, 1948	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से					
		(1)	धारा 2 एम (11) के तहत परिभाषित और नियम 2 (एम) के तहत परिभाषित गैर-खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	7 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
		(2)	नियम 2 (एम) के तहत परिभाषित गैर-खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	15 दिवस					
		(3)	धारा 2 (सीबी) के तहत परिभाषित खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	21 दिवस					
		(4)	धारा 87 के तहत परिभाषित खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	21 दिवस					
		(5)	राजस्थान प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियम, 1991 के तहत परिभाषित प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखाने	60 दिवस					
		140	कारखाने का नवीनीकरण - कारखाना अधिनियम, 1948	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से					
		(1)	धारा 2 एम (11) के तहत परिभाषित और नियम 2 (एम) के तहत परिभाषित गैर-खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	7 दिवस	मुख्य निरीक्षक/ उप मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक/ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	कारखानों के अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के लिये उप मुख्य निरीक्षक पदाभिहित अधिकारी है व अनुज्ञा पत्र में संशोधन व नवीनीकरण के लिये मुख्य निरीक्षक पदाभिहित अधिकारी है।
		(2)	नियम 2 (एम) के तहत परिभाषित गैर-खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	15 दिवस					
		(3)	धारा 2 (सीबी) के तहत परिभाषित खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	21 दिवस					
		(4)	धारा 87 के तहत परिभाषित खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखाने	21 दिवस					

(5)	राजस्थान प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियम, 1991 के तहत परिभाषित प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखाने	60 दिवस					
141	बॉयलर का नवीनीकरण — बॉयलर अधिनियम, 1923	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से					
(1)	स्टीम पाइप लाइन नवशों की स्वीकृति	15 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	
(2)	निरीक्षण	30 दिवस	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	--	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
(3)	निरीक्षण (निरीक्षणों) के पूरा होने की तारीख से बायलर का पंजीकरण	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी
142	बॉयलर का पंजियन — बॉयलर अधिनियम, 1923	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से					
(1)	निरीक्षण	15 दिवस	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	..	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
(2)	ऐसे मामलों में नवीनीकरण जिसमें सक्षम व्यक्ति को धारा 8 के तहत किसी भी संदर्भ के बिना प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है	निरीक्षण पूर्ण होने की तिथि से 48 घण्टे	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	..	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
(3)	अन्य मामलों में बायलर का नवीनीकरण	15 दिवस	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	...	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
143	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों का निरीक्षण	समय सीमा					
(1)	राजफैब (RajFAB) में फैक्टरी निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करें	48 घण्टे	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
144	बॉयलर एक्ट, 1923 के तहत बॉयलर निर्माता, बॉयलर विनिर्माण और मरम्मत,	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि					

	मरम्मतकर्ता / ईरेक्टर (Erector), वेल्डर और विभिन्न गतिविधियों के लिए स्वीकृति / अनुमोदन - भारतीय बॉयलर विनियमन, 1950 के नियम	से					
(1)	संतोषप्रद रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर फार्म 12 में वेल्डर अर्हता प्रमाण पत्र जारी करना- 614	5 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	वेल्डर का परीक्षण करने वाला सहायक पदाभिहित अधिकारी
(2)	भारत से बाहर बनाये गए बॉयलरों और बॉयलर संघटकों के लिये परिकल्पना और विनिर्माण रेखाचित्र का अनुमोदन- 393(क)	(1) 20 टीपीएच तक की क्षमता वाले बॉयलर संघटक व बॉयलर के लिये 5 दिवस (2) 20 टीपीएच से अधिक और 100 टीपीएच तक की क्षमता वाले बॉयलरों के लिये 15 दिवस (3) 100 टीपीएच से अधिक की क्षमता वाले बॉयलर के लिये 21 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
(3)	भारत से बाहर बनाये गए बॉयलरों और बॉयलर संघटकों के लिये सामग्रियों का अनुमोदन- 393 (ख) (आवश्यकता होने पर भारत सरकार, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्)	(1) समान परिकल्पना दबाव और तापमान के लिये पूर्व अनुमोदित के समान सामग्री की दशा में 5 दिवस (2) अन्य दशाओं में 10 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	(आवश्यकता होने पर भारत सरकार, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्)
(4)	भारत से बाहर बनाये गए बॉयलरों और बॉयलर संघटकों के लिये परिकल्पना और विनिर्माण रेखाचित्र का अनुमोदन- 393(ख) (आवश्यकता होने पर भारत सरकार, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड		मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	(आवश्यकता होने पर भारत सरकार, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड से

	से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्)						स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्)
	21 दिवस						
(5)	सन्निर्माण/विनिर्माण के दौरान निरीक्षण -परिशिष्ट 'जे'	2 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
(6)	विनिर्माण और परीक्षण के लिये प्रमाणपत्र का जारी किया जाना - 4(ग)(1)	(i) बॉयलर संघटकों के लिये 3 दिवस (ii) बॉयलर के लिये 7 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	
(7)	परिनिर्माण के दौरान "प्रारूप 2ग" में निरीक्षण प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारी किया जाना - 4(ग)(1)	2 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी
(8)	रजिस्ट्रीकरण निरीक्षण के पश्चात् प्रारूप-5 में अन्तिम आदेश जारी किया जाना	48 घण्टे	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
(9)	बॉयलर के लिये रजिस्ट्रीकरण सख्या नियत करना - 386(घ)	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी
(10)	बॉयलर का भाप परीक्षण - 380(क)	30 दिवस	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
(11)	बॉयलर के प्रयोग के लिये फार्म - 6 में प्रमाणपत्र जारी करना - 389	48 घण्टे	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक		मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप पदाभिहित अधिकारी
(12)	बॉयलरों की मरम्मत/प्रत्युर्वर्तन करने के लिये अनुज्ञा-392(iv)(b)	2 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	निरीक्षण वितरण के अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी
(13)	- बॉयलर और स्टीम पाइपों के मरम्मतकर्ता की मान्यता-392 (5) - बॉयलर, बॉयलर संघटकों, स्टीम पाइपलाइन, फिटिंग, वाल्व, आदि के निर्माताओं, ईरेक्टर (Erector) और फैब्रिकर्स का अनुमोदन एवं नवीनीकरण - धारा 4 (सी) और	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन	

		4 (ई) बॉयलर अधिनियम, 1923					
	(14)	निरीक्षण पुस्तक और रजिस्ट्रीकरण पुस्तक के ज्ञापन का स्थानान्तरण - 388	15 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन
	145	प्रशिक्षण संस्थान का अनुमोदन और राजफैव वेब पोर्टल के माध्यम से पेपरलेस सेवाओं के तहत अन्य अनुमोदन	ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से				
	(1)	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 45 (3) व राजस्थान कारखाना नियम, 1951 की आवश्यकताओं के लिए धारा 111-A(ii) के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान का अनुमोदन	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	वरिष्ठ निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन
	(2)	राजफैव वेब पोर्टल के माध्यम से पेपरलेस सेवाओं के तहत अन्य अनुमोदन	30 दिवस	मुख्य निरीक्षक	उप मुख्य निरीक्षक / वरिष्ठ निरीक्षक / निरीक्षक	मुख्य निरीक्षक	सचिव श्रम एवं नियोजन कार्य वितरण के अनुरूप सहायक पदाभिहित अधिकारी

राज्यपाल के आदेश से,
पवन कुमार गोयल,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।